www.sipf.rajsthan.gov.in
dir-sipf-rj@nic.in

कार्यालय निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :एफ.5यू–II / पार्ट–I / कम्प्यू(एएण्डएस) / 2011 /2503-2853 दिनांक 19-7-2011

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान सरकार।

विषयः– माह सितम्बर, 2011 से सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा जीपीएफ कटौती पत्र वर्तमान प्रक्रिया के साथ–साथ एसआईपीएफ पोर्टल में ऑन लाईन प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का पूर्व पत्रांकःएफ.5यू–II / पार्ट–I / कम्प्यू(एएण्डएस) / 2011 / 1522–1697 दिनांक 16.6.2011

महोदय,

दिनांक 27.6.2011 के परिपत्र के द्वारा वित्त विभाग ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिये यह अनिवार्य किया है कि माह सितम्बर, 2011 से सामान्य प्रावधायी निधि के कटौती पत्र वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के साथ–साथ एसआईपीएफ पोर्टल में भी ऑन लाईन क्रियेट कर प्रस्तुत किये जाये। तत्संबंधी परिपत्र की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

विभाग द्वारा सभी जिलों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एसआईपीएफ पोर्टल में कार्य करने की सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिये वर्कशॉप्स् का आयोजन किया जा चुका है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पोर्टल में काम करने हेतु लॉगिन पासवर्ड भी उपलब्ध कराएं जा चुके है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे सबसे पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के एम्पलॉई डेटा की जॉच कर ले और उसे अपडेट कर लेवे, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण हो गया है उनका एम्पलॉई डेटा नये आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन लाईन स्थानान्तरित करना था, जो कर्मचारी अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के यहॉ से स्थानान्तरित होकर आएं हैं उनकी एम्पलॉई आईडी अपने यहॉ ट्रान्सफर करानी थी। वेतन वृद्धि स्वीकृत होने के पश्चात् **"सर्विस डिटेल अपडेट"** के द्वारा नयी बेसिक सेलेरी फीड की जानी थी और एम्पलॉई डेटा बेस

कृ.पृ.उ.

www.sipf.rajsthan.gov.in
dir-sipf-rj@nic.in

में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक किया जाना था, साथ में जो सूचनाएं अभी फीड करना शेष रह गयी है, वे सूचनाएं सर्विस रिकार्ड के आधार पर प्रविष्ठ की जानी थी।

एम्पलॉई मास्टर डेटा की सर्विस डिटेल में निम्न 7 नये फील्ड जोडे गये है :

1- Category at the time of 1st Appointment
2- Designation at the time of 1st Appointment
3- Entitlement of Pension
4- Scale of Current Post/Designation
5- Personal Pay/Special Pay
6- Non Practice Allowance
7- Total Salary

उक्त फील्ड्स में सर्विस रिकार्ड से वांछित सूचनाएं अविलम्ब फीड करायी जानी है।

उक्त कार्यवाही कर लेने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी सामान्य प्रावधायी निधि के कटौती पत्र को ऑन लाईन प्रस्तुत करने की स्थिति में आ जाते है।

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.6.2011 में प्रदत्त निर्देशानुसार सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत किये जाने वाले वेतन बिलों को पारित करना तभी संभव हो पायेगा जब आहरण एवं वितरण अधिकारी जीपीएफ कटौती पत्र ऑन लाईन भी प्रस्तुत करेगें। समय पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भुगतान की सुनिश्चितता करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सम्पादित किया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि आप कृपया इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठकों में विशेष तौर पर इसकी तैयारी की समीक्षा करे। इस संबंध में आपके स्तर से भी आपके सभी कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी कराने का कष्ट करे ताकि उक्त कार्य को सुगमता से निर्धारित समय-सीमा में प्रारंभ कराया जा सके। कृपया आपके संभागीय अधिकारियों को भी पाबन्द करे कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आगामी माह से जीपीएफ कटोति पत्र आवश्यक तौर पर ऑन लाईन प्रस्तुत करना प्रारम्भ करें। एक बार आहरण एवं वितरण अधिकारियों की प्रेक्टिस में आ जाने के बाद जीपीएफ शिड्यूल ऑन लाईन प्रस्तुत करने से उनके कार्यो के निष्पादन में सरलता एवं गति आयेगी और कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का संधारण भी अपेक्षा के अनुरूप हो सकेगा।

कृ.पृ.उ.

www.sipf.rajsthan.gov.in
dir-sipf-rj@nic.in

इसके अतिरिक्त भविष्य में आपके विभाग में किसी भी कर्मचारी की सर्विस डिटेल में परिवर्तन होने पर, नवनियुक्ति, रेगुलराइजेशन, स्थानान्तरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सुपरएनुएशन, मेरिटल स्टेटस परिवर्तन, फेमिलि डिटेल परिवर्तन आदि की स्थिति में कृपया एसआईपीएफ पोर्टल को भी अपडेट किया जाना अनिवार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी एसआईपीएफ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। एसआईपीएफ अधिकारियों के दूरभाष एवं ई-मेल की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर की जा सकती है।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र दिनकर)
निदेशक